

प्रेषक:

आर०बी० चौधरी,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक 7 दिसम्बर, 2013

विषय : उच्च माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियोजन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1324, दिनांक 31.08.13

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 1324 दिनांक 31.08.13 द्वारा विभिन्न नियोजन इकाईयों में प्रथम समव्यवहार अंतर्गत निम्न स्तम्भ 2 में अंकित तिथि को प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं इन्हीं कोटि के महिला अभ्यर्थी) के साथ नियोजन पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया था।

नियोजन इकाई	उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की तिथि	द्वितीय समव्यवहार अंतर्गत प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों नियोजन की तिथि	तृतीय समव्यवहार अंतर्गत प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों नियोजन की तिथि
1	2	3	4
नगर निगम	28.10.2013	16.12.2013	18.01.2014
नगर परिषद	29 एवं 30.10.2013		
नगर पंचायत	31.10.2013 से 04.11.13 तक		
जिला परिषद	07.11.2013	17.12.2013	21.01.2014


समीक्षा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश जिलों में प्रथम समव्यवहार के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न की जा चुकी है। अतः ऐसे जिलों द्वितीय एवं तृतीय समव्यवहार अंतर्गत क्रमशः स्तम्भ 3 एवं 4 में निर्धारित तिथि को प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं इन्हीं कोटि के महिला अभ्यर्थी) का नियोजन की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

द्वितीय एवं तृतीय समव्यवहार के अंतर्गत अधिक संख्या में नियोजन के लिए आवश्यक है कि जिलान्तर्गत मुख्यालय स्तर पर निर्धारित तिथि को सभी नगर निगम/नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत के लिए निर्धारित तिथि को एक साथ काउंसिलिंग की प्रक्रिया को समपन्न कराया जाय।

जिस जिले में उपर्युक्त निदेश के आलोक में प्रथम समव्यवहार के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियोजन की प्रक्रिया संपन्न नहीं की गयी है, वे जिले उपरोक्त स्तम्भ 3 में अंकित तिथि को प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए प्रथम समव्यवहार एवं स्तम्भ 4 में अंकित तिथि को द्वितीय समव्यवहार अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त सूचना का प्रकाशन जिले के NIC के बेवसाईट पर अनिवार्य रूप से करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन वांछनीय नहीं है।


विश्वासभाजन,


(आर०बी० चौधरी) 6.12.13

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक : 11/नि2-13/91(खंड) अंश III 1752 पटना, दिनांक 7 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

क्र.सं.	नाम	पद	स्थिति
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10